न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 62/2016

RCMS No. 2016/00356

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
1 अचलाराम पुत्र हीराजी जाति देवासी निवासी ग्राम मोरी तहसील बाली		1. बाबूलाल पुत्र जेठाजी जाति सुआरा ग्राम मोरी तहसील बाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत दुदनी तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक:– 28/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 35/1995–96, संकल्प संख्या 6 दिनांक 27.03.1998 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 903 दिनांक 27.03.1998 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का पुराना पुश्तैनी मकान ग्राम मोरी में स्थित है, जिसका पट्टा संख्या 22 दिनांक 18.10.1959 को प्रार्थी के दादा भभूता के नाम से तत्कालीन ग्राम पंचातय बेडा द्वारा जारी किया गया है। उक्त भूमि के पडौस में खालसा भूमि थी, जिस पर अप्रार्थी ने अवैध कब्जा किया, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मकान के मध्य गली बनी, लेकिन अप्रार्थी ने उपरोक्त गली की भूमि पर भी कब्जा करने हेतु जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हे। प्रार्थी के रहवासीय मकान की भूमि के पूर्व में पंचायत की खालसा भूमि थी एवं अप्रार्थी की पैतृक भूमि नहीं थी। इस प्रकार की खालसा भूमि को पंचायत द्वारा नीलाम के जरिये ही विक्रय विलेख जारी किया जाना था, किन्तु पंचायत द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी भूमि मानते हुए जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्ति हेतु किये गये आवेदन पत्र में उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी नही बताकर भूमि के पट्टे हेतु आवेदन किया

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

तथा तत्पश्चात भूमि को काटकर मकान दर्ज किया। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टे की भूमि न तो अप्रार्थी की पुश्तेनी है तथा न ही अप्रार्थी का पुराना रहवासीय मकान है। इस कारण नियम 157 के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। जैर निगरानी पट्टे के आवेदन एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने खालसा भूमि व गली का पट्टा बनाने की मंशा रही है तथा ग्राम पंचायत द्वारा खालसा भूमि सहित गली का जैर निगरानी पट्टा बनाया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियमों के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। नियम 147 के तहत अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का किसी भी रूप में मकान स्थित नहीं है तथा मात्र दो गवाहों के बयान से उक्त खालसा भूमि को पुश्तैनी होना साबित नहीं होती है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रावधानों का दुरूपयोग कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1265, आर0एल0डब्ल्यू0 2012 (4) पेज 459, डी0एन0जे0 (राज.) 1999 पेज 672, डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 458, डी0एन0जे0 (राज.) 2015 (1) पेज 443, डी0एन0जे0 (राज.) 2017 (2) पेज 730 तथा डब्ल्यू0एल0एन0 2013 (2) पेज 272 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जा सुदा रहवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना मकान निर्मित है। अप्रार्थी के मकान के पश्चिमी दिशा में गली थी, जिस पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की, जिसमें विवादित गली पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण करना साबित होने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाकर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर गली को अपनी भूमि में सम्मिलित कर निर्माण कार्य आरम्भ किया है। प्रकरण में जिस

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गली को विवादित बताया है, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 के कमरों की खिडकियां बनाई हुई है, रोशनदान है, जो प्रार्थी द्वारा निर्माण करने के कारण बन्द हो चुके है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गाय है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो निर्माण स्वीकृति पंचायत से प्राप्त की, उसमें पंचायत ने प्रार्थी को अपने पट्टासुदा भूमि में ही निर्माण करने की स्वीकृति जारी की है, जबकि प्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त गली पर कब्जा करने की नियत से अपनी पट्टासुदा भूमि में समाहित करते हुए निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया तथा सिविल न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत करने के कारण अप्रार्थी के पट्टे को निरस्त करने हेतु यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो मात्र अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अंतः निगरानी सारहीन होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 35/1995–96, संकल्प संख्या 6 दिनांक 27.03.1998 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 903 दिनांक 27.03.1998 के विरूद्ध पेश की गई है। पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.10.1995 को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जासुदा मकान का पट्टा अपने नाम से जारी कराने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के पडौस मय नाप अंकित किए। उक्त आवेदन पत्र पर दिनांक 13.11.1995 को सरपंच द्वारा मिसल दर्ज करने तथा ग्राम सेवक को नक्शा बनाने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में प्रस्तावित भूमि का जो नक्शा पत्रावली के संलग्न किया गया, उस पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 23.12.1996 को नक्शा प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंच श्री फुलसिंह, श्री केसाराम एवं श्री जालमसिंह को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। उक्त आदेश की पालना में पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा रिपोर्ट में वांछित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी मकान निर्मित होना बताया तथा नीलाम किया जाना उचित नहीं होना बताते हुए आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात दिनांक 04.11.1997 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेश की पालना में जारी आपत्ति इश्तिहार पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। जिसकी पुस्त पर अंकित इबारत अनुसार दिनांक 05.11.1997 को मौके पर चस्पा किया जाना साबित होता है। इसके पश्चात दिनांक 18.12.1997 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहो के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किये गये, जिसकी पालना में गवाह लक्ष्मणसिंह एवं गवाह मोतीसिंह के बयान कलमबद्ध किये गये। तत्पश्चात दिनांक 27.03.1998 को नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने हेतु जैर निगरानी आज्ञा पारित की गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय अवश्य

अति० जिला कलेक्टर, पाली

है, किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्याभिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नहीं होते है।

प्रकरण में पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह विधि अनुसार उचित है, मात्र नक्शे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं होना, एवं अस्थाई निर्णय नहीं लिये जाने सम्बन्धी तकनीकि त्रुटीयों के आधार पर पट्टे को निरस्त किये जाने का कठोर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अब दूसरा बिन्दु यह प्रकट होता है, जिसके आधार पर निगरानी याचिका की पृष्ठभूमि तैयार हुई, वह यह है कि क्या जैर निगरानी पट्टे की भूमि में तथाकथित गली की भूमि समाहित होती है ? तथा क्या उक्त भूमि खालसा होने के कारण पंचायत को नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी ? इन दोनों बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन किया जाना आवश्यक है। प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें वांछित भूमि के पश्चिमी दिशा में छोटा रास्ता (गली) तथा भुजा की लम्बाई 42 फीट अंकित है, जिसे पंचायत द्वारा 39 फीट मानते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी द्वारा इसी भूमि को अपने पूर्वज के नाम जारी पट्टे में पूर्वी भुजा खालसा भूमि होना बताया। दोनों पट्टो को परस्पर मिलान किया जाता है, तो सम्बन्धित भुजाऐं आकृति में भिन्न होने के कारण मेल नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय बाली के समक्ष मौका कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, उसके नक्शे अनुसार पश्चिमी भुजा सीधी दर्शाई है, जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट से मिलान होती है तथा उक्त भुजा पर निर्मित दीवार में अप्रार्थी संख्या 1 के कमरों की खिडकीयां निर्मित है, जिसे किसी भी पक्ष द्वारा नकारा नहीं है। इससे यह साबित होता है कि उक्त भूमि के पश्चात गली छोडी हुई थी, जो अप्रार्थी के पट्टे के पडौस को साबित करती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो पट्टा जारी हुआ है, वह गली को छोडते हुए जारी किया गया है, इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि में गली समाहित नहीं होती है। दूसरा बिन्दु यह प्रकट हुआ है कि क्या उक्त भूमि खालसा होने के कारण पंचायत को नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी ? इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि प्रार्थी के पूर्वज के नाम जो पट्टा जारी हुआ है, वह वर्ष 1957 में जारी होना बताया है, जिसमें पूर्व में खालसा भूमि दशाई गई है। सम्भवतः कालान्तर में निवास की आवश्यकता अनुरूप मौके पर निमार्ण हुए एवं भौतिक परिस्थितियां भी परिवर्तित हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर मकान निर्मित होने के आधार पर पंचायत से पट्टा जारी कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर पंचायत द्वारा विधिवत प्रावधानों की पालना करते हुए कार्यवाही की एवं मौके पर मकान निर्मित होने के कारण नियमितिकरण की कार्यवाही की गई है, जो पंचायत के क्षैत्राधिकार में है, जिसमें किसी प्रकार से विधि का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस प्रकार ग्राम

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 35/1995–96, संकल्प संख्या 6 दिनांक 27.03.1998 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 903 दिनांक 27.03.1998 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली